

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री धनंजय टोप्पों और श्री संतोष उराँव पिता रामवृक्ष उराँव निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम (रैयती) खाता सं. 66, 379, 383, 374 के अधीन प्लॉट सं. 763/2913, 2338, 2356, 2378, 2397, 2402, 2418, 2424, 2449, 2532, 2556, 2571, 2588, 2333, 2373, 2381, 2409, 2453, 2461, 2480, 2500, 2538, 2539, 2541, 2586, 2594, 2312/2922, 2537/2923, 2272, 2281, 2296, 2349, 2371, 2379, 2405, 2411, 2416, 2456, 2460, 2536, 2546, 2548, 2576, 2585, 2597 कुलरकबा - 4.00 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम(रैयती) खाता सं.66, 379, 383, 374 के अधीन प्लॉट सं. 763/2913, 2338, 2356, 2378, 2397, 2402, 2418, 2424, 2449, 2532, 2556, 2571, 2588, 2333, 2373, 2381, 2409, 2453, 2461, 2480, 2500, 2538, 2539, 2541, 2586, 2594, 2312/2922, 2537/2923, 2272, 2281, 2296, 2349, 2371, 2379, 2405, 2411, 2416, 2456, 2460, 2536, 2546, 2548, 2576, 2585, 2597 कुलरकबा - 4.00 एकड़ रैयती भूमि केतहत श्री धनंजय टोप्पों और श्री संतोष उराँव पिता रामवृक्ष उराँव निवासी ग्राम: राहम, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

*Rishikant*